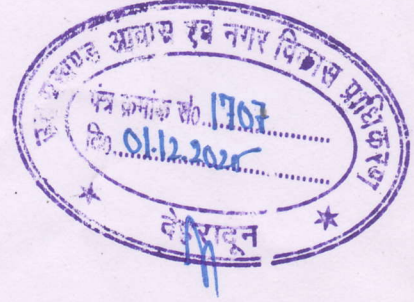




उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2
ई पत्रावली संख्या- 791 / 49477
देहरादून, दिनांक: 28 नवम्बर, 2025

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-108359/49477 दिनांक 22.03.2023 द्वारा रायपुर एवं उसके समीप के क्षेत्र, जिसमें उत्तर में रायपुर से थानों रोड तक, दक्षिण में मुख्य हरिद्वार रोड तक, पश्चिम में ऑर्डिनेन्स फ़ैक्ट्री की सीमा को छोड़ते हुए नाले के पूरब में हरिद्वार रोड तक तथा पूरब में दूनघाटी महायोजना के भोपाल पानी, बडासी ग्राण्ट एवं काली माटी ग्राम की सीमा तक के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए फ्रीज जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में समस्त प्रकार के निर्माण/विकास गतिविधियाँ, इस क्षेत्र की महायोजना निर्माण तक प्रतिबंधित की गयी हैं।

2. प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में श्री राज्यपाल, उक्त क्षेत्र में नियमित क्षेत्रीय विकास के दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक संगत प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्माण कार्यों की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. भू-उपयोग प्रतिबंध- आवासीय क्षेत्र में एकल आवास को अप्रतिबंधित क्षेत्र (Unrestricted area) रखा जायेगा। व्यावसायिक(Commercial) प्रयोजन हेतु अधिकतम 50 वर्ग मी0 तक का क्षेत्र अनुमन्य होगा।
2. रायपुर जोन के लिए अधिकतम एफ0ए0आर0-1.5 निर्धारित किया जाता है।
3. सार्वजनिक उपयोग से सम्बन्धित आधारभूत संरचनाएँ (Public Utilities) जैसे पेयजल, विद्युत, सीवर, पेट्रोल पंप, संचार आदि से सम्बन्धित सभी अवसंरचनात्मक विकास कार्यों की अनुमति प्रदान की जायेगी।

अधिसूचना संख्या-108359/49477 दिनांक 22.03.2023 के क्रम में शेष गतिविधियाँ उक्त क्षेत्र के महायोजना निर्माण तक प्रतिबन्धित रहेंगी।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 2-स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3-प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4-सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 6-उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 7-संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 8- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 9- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि प्रश्नगत अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में 50 प्रतियाँ मुद्रित करते हुए शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।
- 10- गार्ड फाईल।

SE/11.A.

Sinew

(नरेंद्र सिंह रावत)
अनुसचिव

JCA
01.12.2025
12
50